अध्याय 8:
निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अध्याय 8: निष्कर्ष एवं सिफारिशें

8.1 निष्कर्ष

ओएमसीज ने 2019-20 तक आठ करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के प्रति मार्च 2019 तक 7.19 करोड़ कनेक्शन जारी किए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन को यह जांचने के लिए शामिल किया गया था कि क्या योजना के अंतर्गत कनेक्शन अभीष्ट लाभार्थियों को जारी किए गए है और स्वच्छ ईंधन अर्थात् एलपीजी की ओर पारगमन और सतत प्रयोग सुनिश्चित किया गया।

डाटा विश्लेषण और चयनित वितरकों पर संचालित फील्ड लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन में कई कमियों को उजागर किया उदाहरणार्थ केवाईसी जांच में सम्यक जांच की कमी तथा एनआईसी के साथ-साथ ओएमसीज द्वारा संचालित डी-डुप्लिकेशन कार्य की विफलता का पता चला जिससे अनभिप्रेत लाभार्थियों जैसे पुरूष, अल्पव्यस्क, एक ही व्यक्ति/परिवार को कई कनेक्शन प्रदान किए गए आदि ।

ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित वितरकों की कमी थी जिसके कारण रिफिलों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ और लाभार्थियों के आवास पर रिफिल सुपुर्द करने मे अक्षम रहे। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 0.24 *प्रतिशत* लाभार्थियों को 5 कि.ग्रा. का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया यद्यपि व्यय वित्त समिति और पीपीएसी-सीआरआईएसआईएल रिपोर्ट ने उच्च रिफिल लागत को एलपीजी प्रयोग में प्रमुख बाधा बताते हुए योजना को सफल बनाने हेतु छोटे 5 कि.ग्रा. के सिलेंडर की महत्ता को चिन्हांकित किया था।

यह भी पाया गया कि छह रिफिल तक वसूली के स्थगन से अल्प उपभोग श्रेणी में ऋणी उपभोक्ताओं के उपभोग को बढ़ाने का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 31 दिसम्बर 2018 तक बहुत कम मात्रा में ऐसे उपभोक्ता रिफिल के लिए वापिस आए।

एलपीजी वितरकों के स्तर पर अपूर्ण दस्तावेजीकरण भी पाया गया क्योंकि कुछ मामलों में पूर्व संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट तथा संस्थापन रिपोर्ट केवाईसी के साथ दस्तावेज के साथ अनुलग्न नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर पाई कि क्या सुरक्षित संस्थापन और प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जांच की गई थी। इस बात को फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लाभार्थी सर्वेक्षण से समर्थन मिला जिससे एलपीजी के असुरक्षित संस्थापन/ प्रयोग का पता चला।

सब्सिडी के अंतरित न होने के भी मामले पाए गए जो कि बीपीएल लाभार्थियों को स्वच्छ ईंधन की ओर पारगमन के लिए हतोत्साहित कर सकते है ।

पीएमयूवाई, जो मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों को एलपीजी उपलब्ध करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ने देश में एलपीजी कवरेज 61.9 *प्रतिशत* (मई 2016) से 94.3 *प्रतिशत* (मार्च 2019) तक बढ़ाने में सहायता की क्योंकि एसईसीसी-2011 डाटाबेस के अतिरिक्ति बीपीएल लाभार्थियों

को शामिल करते हुए ई-पीएमयूवाई आरंभ (मार्च 2018) करने के बाद कनेक्शन जारी करने की गति में बड़ी तेजी देखी गई। तथापि, 2016-17 से 2018-19 तक गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा 7.5 से 6.73 रिफिल तथा पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा 3.9 से 2.98 रीफिल का औसत वार्षिक रिफिल उपभोग का अधोगामी पैटर्न दृष्टिगत हुआ।

पीएमयूवाई की स्वीकृति के समय पर, एमओपीएनजी ने योजना के कार्यान्वयन से अस्वच्छ ईधनों पर निर्भरता में कमी और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार जैसे अभिप्रेत लाभों की परिकल्पना की थी। तथापि, इन लाभों की उपलब्धि की सीमा निर्धारण करने हेतु कोई मापनयोग्य निष्पादन मानकों का गठन नहीं किया गया है।

8.2 सिफारिशें

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

- डी -डुप्लिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा के साथ ही साथ नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की आधार संख्या को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए।
- अयोग्य लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में उचित इनपुट नियंत्रण, डेटा सत्यापन और अनिवार्य क्षेत्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए;
- सही जानकारी प्राप्त करना और पीएमयूवाई लाभार्थियों की वास्तविकता को प्रमाणित करना जैसे दोहरे लाभ के लिए ई-केवाईसी को शुरू करने की आवश्यकता है।
- यदि परिवार अन्य प्रकार से पीएमयूवाई के तहत पात्र पाया जाता है, तो अवयस्क लाभार्थियों को जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन को वयस्क परिवार के सदस्य के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
- लाभार्थियों के साथ एएचएल टिन साझा करने की व्यवहार्यता को एमओआरडी के साथ समन्वय में एमओपीएनजी द्वारा पता लगाया जा सकता है।
- पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- नियमित निरीक्षण की अनुपस्थिति में जोखिम खतरों से बचने के लिए अनिवार्य निरीक्षण की लागत पर सब्सिडी देने के विकल्प का पता लगाया जा सकता है।
- यद्यपि पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को मोटे तौर पर हासिल किया लिया गया है, शून्य/कम खपत श्रेणी में पीएमयूवाई लाभार्थियों को निरंतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- व्यपवर्तन पर रोक लगाने के लिए रिफिल की उच्च खपत के मामलों में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
- सीमित नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, पूरे एलपीजी डेटाबेस के साथ-साथ भौतिक रिकॉर्ड की भी जांच की जानी चाहिए ताकि

अयोग्य/पुरुष/अवयस्क लाभार्थियों/बहु कनेक्शनों को कनेक्शन जारी करने में पहचान और प्रतिबंधित किया जा सके।

- एमओपीएनजी, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और घरेलू वायु प्रदूषण में कमी जैसे मापन-योग्य लाभों के परिणाम के आकलन के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित कर सकता है।
- जैसा कि योजना में परिकल्पित है, योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा की जा सकती है।

सिफारिशों की चर्चा निकास सम्मेलन में की गई थी और इसे मोटे तौर पर एमओपीएनजी द्वारा स्वीकार किया गया था।

वेंकटेश मोहन

(वेंकटेश मोहन)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली:
दिनांक: 06 नवम्बर, 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: 06 नवम्बर, 2019